चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों?

29 जुलाई, 2021 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में **चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग (अधिग्रहण) विधेयक, 2021** (Chandulal Chandrakar Memorial Medical College Durg (Acquisition) Bill, 2021) ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

- राज्य सरकार ने जनहित में इस चिकित्सा महाविद्यालय के अधिग्रहण का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग के अधिग्रहण की प्रक्रिया में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि यह प्रकरण भविष्य के दृष्टांत नहीं होगा, केवल वन टाइम परमिशन दी जा रही है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के निवासियों तथा कॉलेज के विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि के अवसर पर 2 फरवरी, 2021 को आयोजित कार्यक्रम में चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कचांदुर के राज्य शासन द्वारा अधिग्रहण की घोषणा की थी।
- मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण भू-अर्जन के नियमों के तहत किया जाएगा। भू-अर्जन के प्रावधानों के अंतर्गत ही संपत्ति का आकलन भी किया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गाइडलाइन के चार गुना भुगतान के स्थान पर मंत्रिमंडल द्वारा दो गुना तक मूल्यांकन करने का निर्णय किया गया। इस प्रकार निर्धारित राशि के अतिरिक्त न तो किसी राशि का भुगतान किया जाएगा और न अन्य कोई दायित्व होगा। इससे सरकार को कम राशि का भुगतान करना पड़ेगा।
- चंदूलाल चंद्राकर स्मृति मेडिकल कॉलेज में अभी भी कई छात्र (भावी डॉक्टर) अध्ययनरत् हैं। इस मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण से हर वर्ष 150 नए डॉक्टर मिलेंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chandulal-chandrakar-memorial-medical-college-durg-acquisition-bill-2021